संख्या- 25/2025/2423-57-2025/57-1099/23/2024

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2025

विषय:- **जनपद अयोध्या में गोकुल धाम के निकट रिक्त भूमि पर ओपेन सरफेस पार्किंग के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-524/ध0का0वि0नि0/2025-26, दिनांक 10.09.2025 एवं मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या के पत्र संख्या-6345 अ0क्षे0/3 अ0क्षे0 भवन/2025, दिनांक 09.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में गोकुल धाम के निकट रिक्त भूमि पर ओपेन सरफेस पार्किंग के निर्माण हेतु धनराशि रू0 144.20 लाख का आगणन/प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में गोकुल धाम के निकट रिक्त भूमि पर ओपेन सरफेस पार्किंग के निर्माण हेतु प्रस्तावित लागत 144.20 लाख के सापेक्ष अप्रेजल समिति द्वारा मूल्यांकित लागत 128.31 लाख (रुपये एक करोड़ अट्ठाइस लाख इकतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त अवमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. प्रायोजना हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-1352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।
2. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग की होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।
3. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के के सुसंगत प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7. लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

8. प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा एवं भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

13. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

14. स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, लखनऊ/वाराणसी से किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,28,31,000 (रुपये एक करोड़ अठाइस लाख इक्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**084 **लेखा शीर्षक-4250008000800** अयोध्या में पब्लिक एम्नेटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास **मानक मद-**24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-25/2025/2423-57-2025/57-1099/23/2024, तदैव दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ/अयोध्या।
5- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
9-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://sha

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।